[2009] 7 एस. सी. आर 330

जार्ज पोन पॉल

बनाम

कनागलेट एवं अन्य

आपराधिक अपील संख्याएँ 72-73/2003

29 अप्रैल, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धाराएँ 326 एवं 452 – दोषसिद्धि – न्यायालय के उठने तक कारावास तथा अर्थदंड, व्यतिक्रम उपबंध सहित, का अधिरोपण – उच्च न्यायालय द्वारा दंडवृद्धि कर दो वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया जाना – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि जमा कर दी गई है तथा पीड़ित को निर्देशानुसार राशि का भुगतान भी कर दिया गया है – साथ ही दीर्घ समय व्यतीत हो चुका है – अतः दंडावधि को पूर्व में भोगी गई अवधि तक सीमित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्याएँ 72-73/2003।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्याएँ 935/1999, 1786/1999 एवं 1048/2001 में दिनांक 24.01.2002 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

सी. परमासिवम, पी. रमेश, राकेश के. शर्मा, अपीलकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा प्रदान किया गया।

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति

वर्तमान अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश को है, जिसके द्वारा वर्तमान उत्तरदाता संख्या 1 एवं 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकृत कर ली गई तथा वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई। उच्च न्यायालय का मत था कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में

'भा.दं.सं.') की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु केवल अर्थदंड अधिरोपित किया गया था और इसलिए अपीलकर्ता को पूर्व में अधिरोपित अर्थदंड के अतिरिक्त दो वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया।

विचारण के दौरान उद्घाटित अभियोजन कथन के अनुसार दिनांक 07.01.1993 को लगभग 2:45 अपराह्न तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने उत्तरदाता संख्या 1 (अभियोजन साक्षी-1) के घर में अनधिकार प्रवेश किया तथा उसके पति उत्तरदाता संख्या 2 (अभियोजन साक्षी-2) पर आक्रमण किया। जब अभियोजन साक्षी-1 ने उक्त आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, तब उन लोगों ने उस पर भी वेट्टु काठी एवं अन्य हथियारों से आक्रमण कर दोनों को चोट पहुँचाई। तीनों अभियुक्तों का विचारण भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 452, 326, 324 एवं 325 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 2 एवं 3 को दोषमुक्त कर दिया, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 326 एवं 452 के अधीन दोषसिद्ध किया। वर्तमान अपीलकर्ता ने उक्त दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने दोषसिद्धि एवं दंड, अर्थात् न्यायालय के उठने तक कारावास तथा व्यतिक्रम उपबंध सहित अर्थदंड, की पुष्टि की। उससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1048/2001 दायर की। दोषसिद्धि अभिलिखित किए जाने के तुरंत पश्चात् दोनों पीड़ितों, अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2 ने भी अभियुक्त संख्या 2 एवं 3 की दोषमुक्ति को चुनौती देने तथा अभियुक्त संख्या-1 पर अधिरोपित दंड को अपर्याप्त बताते हुए उसकी वृद्धि हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 935/1999 दायर की।

दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं पर एक साथ विचार कर समान निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया गया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त संख्या 2 एवं 3 की दोषमुक्ति किसी प्रकार की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। उसने यह अभिलिखित किया कि

अभिरक्षात्मक दंड अधिरोपण से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में विचारण न्यायालय केवल अर्थदंड अधिरोपित नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका में कोई सार नहीं पाया, किन्तु यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 326 के प्रावधानों के आलोक में अभिरक्षात्मक दंड आवश्यक है। तदनुसार दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए दंड में वृद्धि की गई। धाराएँ 326 एवं 452 निम्नवत् हैं :—

> "326. खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करना —
>
> जो कोई, धारा 335 में उपबंधित दशा के सिवाय, गोली चलाने, चाकू गोदने या काटने के किसी उपकरण द्वारा, अथवा ऐसे किसी उपकरण द्वारा, जो आक्रमण के हथियार के रूप में प्रयुक्त होने पर मृत्यु कारित करने की संभावना रखता हो, अथवा अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, अथवा किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा, अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, अथवा ऐसे किसी पदार्थ द्वारा, जिसका मानव शरीर में श्वास, निगलने या रक्त में ग्रहण किए जाने पर हानिकारक प्रभाव हो, अथवा किसी पशु द्वारा स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से, अथवा किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा तथा अर्थदंड से भी दंडनीय होगा।
>
> 452. उपहति, आक्रमण या सदोष अवरोध के लिए तैयारी करने के पश्चात् गृह-अतिचार —
>
> जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति पहुँचाने, किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने, किसी व्यक्ति को सदोष रूप से अवरुद्ध करने, अथवा किसी व्यक्ति को उपहति, आक्रमण या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करने के पश्चात् गृह-अतिचार करेगा, वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा तथा अर्थदंड से भी दंडनीय होगा।

अब केवल यही प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अभिरक्षात्मक दंड, अर्थात् न्यायालय के उठने तक कारावास, पर्याप्त था या नहीं।

अभिलेख से प्रतीत होता है कि अर्थदंड की राशि जमा कर दी गई है तथा अभियोजन साक्षी-2 को भुगतान किए जाने हेतु निर्देशित राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। इस तथ्य तथा दीर्घ समयावधि के व्यतीत हो जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह उपयुक्त होगा कि दंडावधि को पूर्व में भोगी गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए। अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

एन. जे. अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।